…૦/૩/૨૦૨૧ [illegible]
ગયેલ - વાસ્તે આદેશ - [illegible] - ૦૬/૫/૨૧ ના રોજ [illegible]

૦૬/૫/૨૦૨૧ પ્રા. પ્રેમકુંવર / વનિતાબાળી ઉર્ફે વાલીબેન / નાનાલાલ /
[illegible] પ્રાર્થના [illegible] આપવા બાબતની [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / પત્નિ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] પ્રા. ને / પ્રા. [illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ને

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला- भरतपुर (राज.)
(पीठासीन अधिकारी- श्री हेमराज गुर्जर RAS)

वाद सं. 68/2018.

[illegible]लम- दावा अन्तर्गत धारा- 188 RTA

निर्णय- दिनांक- 06/04/2021

(1) सूरजकुमारी W/o हजारीलाल
(2) लीलादेवी W/o मोहनसिंह
(3) मंजूदेवी W/o विजयसिंह

समस्त जाति जाट- निवासी- कैथूरी तह. नदबई

- वादीगण

बनाम-

(1) ओमसिंह
(2) वीरीसिंह पि. गुलीचंद
(3) हरवीरसिंह
(4) लरकौर W/o गुलीचन्द
(5) सन्तो W/o ओमसिंह
(6) छजेली W/o वीरीसिंह
(7) कुलवीरी W/o हरवीरसिंह
(8) धारय S/o वीरीसिंह
(9) अशोक S/o वीरीसिंह
(10) प्रेमसिंह S/o ओमसिंह
(11) रोहिताश S/o हरवीरसिंह
(12) वेदप्रकाश S/o हरवीरसिंह

समस्त -जाति- जाट- निवासी- कैथूरी तहसील- नदबई जिला भरतपुर (राज.)

- प्रतिवादीगण-

उपस्थित अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह-

निर्णय- दिनांक-

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा- 188 RTA के तहत हक आवाय -[illegible]

किया गया कि- विवादित आराजी ख.न. 997 रकबा 0.48, 1000 रकबा- 0 किता-2 रकबा 1.09 वाके ग्राम खेडली तह. नदबई पर स्थित है. जिसकी वादिनीगण सं. 1 लगा. 3 वा-दि-वा- की सह खातेदार व काबिज है। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 12 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है. वि.आ- वादिनीगण सं. 1 लगा. 3 ने जरिये रजि. बयनामा बृजमोहन आदिया पुत्र मदनलाल आदिया जाति पंजाबी निवासी- 3 ई/11. सी. एन. एच. 3 फरीदाबाद तह. व जिला- फरीदाबाद हरियाणा से प्रतिफल देकर क्रय किया था तथा कब्जा भी रजि बयनामा प्राप्त कर लिया था- तथा मुताबिक- कब्जा वादिनीगण के नाम इन्तकाल सं. 861 दि. 23.5.18 से खातेदारी इन्द्राजात आ चुके है. फिर भी. प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 अपने लठ के बल पर जबरदस्ती वादिनीगण को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने के प्रयास में है. जबकि- उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा वादिनीगण के औरत होने का नाजायज- फायदा उठाकर जबरन कब्जा लेने के फिराक में तथा बेदखल के प्रयास में है. तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 द्वारा दिनांक- 19.6.18 को विवादित- आराजी- को जोतने व बोने नहीं देने तथा कोई गयी फसल को नष्ट करने की धमकी- दी गयी उक्त डीगर धमकी में कामयाब हो गये तो वादिनीगण को अपूर्णीय क्षति होगी. अतः वादिनीगण सं. 1 लगा. 3 प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द करा पाने की अधिकारी है।

अतः वादपत्र- वादिनीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि- प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 को विवादित- आराजी- में किसी प्रकार की मदाखलत- मजाहमत- न करने तथा किसी प्रकार से जोतने बोने देना रोकने हेतु जरिये- स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें. जो कि- वादिनीगण के अधिकारों पर बहाल ना आवें.

वादिनीगण के वाद पत्र- अन्तर्गत धारा- 188 RTA के तहत पेश कि- किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 12 को जरिये समन- तलब किये गये- प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत- 12 तामील बावजूद- न्यायालय हाजा- उपस्थित ना होने के कारण- इनके खिलाफ- एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी-।

वादिनीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी के रूप में नकल- जमा. सं. 2072-75 वाके ग्राम खेडली व बयान के रूप में स्वयं ... W10

नदबई (भरतपुर)

श्रीमानजी,

वादपत्र वादिनीगण निम्न प्रकार पेश है।

Scanned with CamScanner

नसिंह जाति- जाट निवासी- कोलूरी व मोहनसिंह पुत्र नारायनसिंह नि- जाट- निवासी कोलूरी तह. नदबई के वापस पत्र पेश किये गये।-

बहस अंतिम उभय पक्षों मे वादीगण के अधिवक्ता श्री लाखनसिंह की- सुनी गयी- तथा वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। हमने विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो पाया कि- वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमा. सेवट - 2072-75 वाके ग्राम- कोलूरी के खाता सं. 185 के ख.न. 997,1000 पर बृजमोहन जाटिया के स्थान पर सुरजमुखी w/o हजारीलाल, लीलादेवी w/o मोहनसिंह, मन्जूदेवी w/o विजयसिंह कौम- जाटि- जाट सा.देह. खातेदार दर्ज रिकार्ड है - बृजमोहन जाटिया द्वारा बेचान किया गया है जो वादीगण के हक मे दाखिला खारिज- सं. 861 मंजूरी दि. 23/5/18 से खातेदारी आ गई है। तथा उक्त- विवादित- आराजीयात के प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 से कोई हैवायत सरोकार नही है नाही किसी प्रकार का कोई लेना देना है। तथा- वादीगण की विवादित आराजीयात पर जबरन नाजायज कारकाश्त कर कोई फसल को नष्ट करने की- धमकी- प्रतिवादीगण द्वारा दी गई है, जो कि- वादीगण के बयान- लीलादेवी एवं मोहनसिंह- से स्पष्ट है जो कि- वादीगण के वाद पत्र की ताईद करता है। इसके विरोध मे प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये, इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र काबिल डिक्री के है.

अतः आदेश है कि- विवादित आराजी ख.न. 997 रकबा 0.40, 1000 रकबा 0.61 किता 2 रकबा 1.01 वाके ग्राम कोलूरी तह. नदबई पर मै. प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि- वादीगण की- खातेदारी की आराजी मे मदाखलत मजाहमत ना करें तथा फसल काश्त- मे- किसी प्रकार का व्यवधान जोतने बोने मे ना करे तथा आराजीयात को- बेदखल नही करेंगे. पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय- आज दिनांक - 06/4/2021 को लिखा या जाकर सुनाया गया। पत्रा. फैसला मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

6/04/21
(हेमराज गुर्जर RAS)
उपखण्ड अधिकारी-
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner